प्रेस नोट
दिनांक 19.04.2025

पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत एंटी रोमियो स्क्वाड को और बेहतर बनाने की दिशा में छात्राओं/महिलाओं से प्राप्त फीडबैक के आधार पर शोहदों/मनचलों के विरुद्ध अबतक की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में प्रेस विज्ञप्ति-

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिलाओं को आत्म-निर्भर, सशक्त और समाज में समान अधिकार दिलाने हेतु एंटी रोमियों स्क्वाड को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अभिनव प्रयोग किया गया है। जनपद के समस्त थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारीगण तथा सभी एन्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा अभियान चलाकर अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत स्कूल/कॉलेजों/आंगनबाडियों आदि में पहुँचकर फीडबैक फॉर्म छात्राओं व महिलाओं को वितरित कराकर उनके बहुमूल्य सुझाव लिए गए। छात्राओं द्वारा अपने फीडबैक में दिये गए सभी बिंदुओं को थानावार चिन्हित कर उनकी मैपिंग की गयी। जिससे सभी टीमों को शोहदों/मनचलो द्वारा छात्राओ/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी किये जाने वाले स्थानों की व्यापक जानकारी हुई। छात्राओं/महिलाओं द्वारा मिले फीडबैक के आधार पर सम्बन्धित स्थानों (दुकानों, मॉल, गली मोहल्लों, पार्कों, मन्दिरों व स्कूल/कालेजों के आस पास के क्षेत्रो पर) के आस-पास गोण्डा पुलिस की एण्टी रोमियो स्क्वाड टीम मनचलो को पकड़ कर रेड कार्ड निर्गत किया गया तथा चेतावनी दी गयी कि निर्गत रेड कार्ड पाने वाले शोहदे दुबारा इस तरह की हरकत करते पाये गये तो पुलिस द्वारा उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। रेड कार्ड पाने वाले शोहदों का पूरा विवरण एंटी रोमियो टीम द्वारा एक निर्धारित प्रारूप में नोट किया जा रहा है। इसे भविष्य के रिकॉर्ड के लिए थाने में सुरक्षित भी रखा जाएगा ताकि अवश्यकता पड़ने पर अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी। **उक्त अभियान के क्रम में चैत्र नवरात्रि से अबतक जनपद की सभी एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा कुल-261 स्कूल/कालेजों/आंगनबाडियों में पंहुचकर छात्रा/छात्राओं/महिलाओं से करीब 11,501 फीडबैक फार्म प्राप्त कर सुझाव लिए गए। प्राप्त सुझावों के आधार पर अब तक जनपद में 291 स्थानों को चिन्हित कर एण्टीरोमियों स्क्वाड द्वारा छात्रों/महिलाओं के विरूद्ध छींटाकशी/अपमानजनक टिप्पणी करने वाले 158 शोहदों/मनचलों के विरूद्ध रेडकार्ड जारी किया गया। तथा दो प्रकरणों में अभियोग पंजीकृत कर आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की गई है।**

मीडिया सेल, गोण्डा।